न्यायालयः- सिविल न्यायाधीश, नागौर ।

पीठासीन अधिकारी — नेहा गोयल, आर.जे.एस.

दी.मू.प्र.सं. — 02/18

सी. आई. एस. नं. — 02/18

भीकाराम पुत्र श्री संग्रामराम, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम खोडवा ग्राम पंचायत बेरावास, तहसील खींवसर, जिला नागौर ।

-वादी

बनाम

1 राज्य सरकार जरिए जिला कलक्टर, नागौर ।

2 तहसीलदार, कार्यालय तहसीलदार खींवसर, जिला नागौर ।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा वाद अधीन आदेश 7 नियम 1 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितः- 01 श्री पीर मोहम्मद खान, वादी की ओर से ।

02 अपर लोक अभियोजक, प्रतिवादी पक्ष की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः-05.11.2020

1 प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में विवादित अचल सम्पत्ति मकान को पूर्वजों के समय से अपने स्वामित्व, कब्जे, उपयोग, उपभोग व अधिभोग का होना बताया है, जिसके संबंध में वादी का यह अभिवचन है कि उक्त विवादित अचल सम्पत्ति मकान वर्तमान में खसरा नं. 86 की आबादी भूमि में स्थित है तथा किसी भी प्रकार से गौचर के उपयोग में नहीं आ रही है, जिसका नाप लगभग 100X100 फुट है तथा वादी अनुसूचित जाति का बीपीएल परिवार का सदस्य होने से राज्य सरकार द्वारा इन्दिरा आवास योजना के तहत वादी के पक्का मकान बनवाने हेतु दिनांक 09.07.2004 को 25,000/- रूपये की सहायता दी गई थी। उक्त मकान में वादी के पूर्वजों के समय से पक्का निर्माण कार्य करवाया हुआ है ।

2 परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बिना किसी आधार के गलत व मिथ्या तथ्यों पर

कार्यालय तहसीलदार खींवसर, जिला नागौर के पत्र दिनांक 05.12.2017 का जारी किया, जो कि वादी को कुछ समय पूर्व ही मिला । उक्त पत्र में वादी को खसरा नम्बर 86 किस्म गैर मुमकिन गौचर भूमि को अतिक्रमी मानकर प्रकरण संख्या 70/2016 दर्जकर नोटिस जारी किया गया तथा बेदखल आदेश जारी कर अतिक्रमण हटाने और सरकारी भूमि को खाली करने का नोटिस में अंकन किया गया जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण के समक्ष उक्त खसरा नंबर के संबंध में अपने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए यह अवगत करवाया गया कि वादी की भूमि खसरा नम्बर 86 जिसके बटटा नम्बर 86/387 में स्थित है जो कि गौचर भूमि ना होकर आबादी भूमि में स्थित है जिस पर वादी के पूर्वजो के समय से मकान बनाया हुआ है और वादी उक्त भूमि पर अतिक्रमी के तौर पर काबिज नहीं है । परन्तु प्रतिवादीगण वादी की बात को नहीं मानकर वादी को बेदखल करने तथा उसके निर्माण को तोड़कर हटाने की धमकी दे रहे हैं जिस कारण वादी को स्थायी निषेधाज्ञा का दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है ।

3 प्रतिवादी पक्ष को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए उनके जवाब का अवसर बंद किया गया ।

4 न्यायालय द्वारा विरचित विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है–

(1) आया विवादग्रस्त जायगा वादी के वैध स्वामित्व अथवा वैध सुस्थापित कब्जे उपयोग–उपभोग की जायगा है जिससे प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बिना विधिक अधिकार के जबरन बेदखल किया जा रहा है तथा वादी के कब्जे, उपयोग–उपभोग व निर्माण में दखलअंदाजी अथवा बाधा उत्पन्न की जा रही है, जिसे जरिए स्थायी निषेधाज्ञा रूकवाने का वादी हकदार है?

(2) अनुतोष?

5 वादी पक्ष की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में पी.ड.–1 भीकाराम एवं पी.ड.–2 कृपाराम परीक्षित हुए हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 सरकार द्वारा वर्ष 2004 में मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत स्वीकृत राशि का आदेश, प्रदर्श–2 स्वीकृत राशि, प्रमाण–पत्र सरपंच ग्राम पंचायत बेरावास प्रदर्श–3, जमाबंदी ग्राम खोड़वा संवत् 2061 प्रदर्श–4, जमाबंदी ग्राम खोड़वा संवत् 2070–2073 प्रदर्श–5, गरीबो हेतु निशुल्क चिकित्सा कार्ड प्रदर्श–6 ए, परिवार राशनकार्ड प्रदर्श–7 ए, आधारकार्ड प्रदर्श–8 ए, फोटो प्रदर्श–9 प्रस्तुत किए हैं ।

6 प्रतिवादी पक्ष ने साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा ।

7 बहस अंतिम सुनी गई । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

8 न्यायालय द्वारा विरचित किये गये विचारणीय बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार से है–

विचारणीय बिन्दु संख्या 1

उक्त विचारणीय बिन्दु को सिद्ध करने का भार वादी पर था ।

इस संबंध में वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रश्नगत भूमि वादी के स्वामित्व कब्जे व अधिकार की भूमि है जिस पर वादी का कब्जा है । ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादी को बेदखल करने का अधिकार नहीं है ।

जबकि प्रतिवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि वादी की हैसियत मात्र अतिक्रमी की है एवं अतिक्रमी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता ।

यद्यपि पत्रावली पर यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है । परन्तु विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी को अपना दावा अपने पैरों पर सिद्ध करना होता है, वह प्रतिवादी पक्ष की किसी कमजोरी का लाभ नहीं उठा सकता । इस अनुक्रम में पत्रावली पर आई साक्ष्य एवं अभिवचन का अवलोकन करें तो जहां तक वादी के स्वामित्व का प्रश्न है । वादी द्वारा वादग्रस्त जायगा अपने पूर्वजो के समय से स्वामित्व, कब्जाशुदा, उपयोग–उपभोग एवं अधिभोग की जायगा होना बताया है । वादी को राज्य सरकार द्वारा इन्दिरा आवास योजना के तहत वादी के पक्का मकान बनवाने हेतु दिनांक 09.07.2004 को 25,000/– रूपये की सहायता दी गई थी, जिस पर वादी के पूर्वजो के समय से ही पक्का निर्माण कार्य किया जा चुका है ।

वादी द्वारा उक्त जायगा को आबादी भूमि का हिस्सा होने का भी अभिवचन किया है । उक्त जायगा खसरा नम्बर 86 के बट्टा नम्बर 86/387 होना बताया है । इस संबंध में वादी पक्ष द्वारा बतौर साक्षी स्वयं को तथा कृपाराम को परीक्षित करवाया है । दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर वादी पक्ष द्वारा दस्तावेज प्रदर्श–1 सरकार द्वारा वर्ष 2004 में मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत स्वीकृत राशि का आदेश, प्रदर्श–2 स्वीकृत राशि, प्रमाण–पत्र सरपंच ग्राम पंचायत बेरावास प्रदर्श–3, जमाबंदी ग्राम खोड़वा संवत् 2061 प्रदर्श–4, जमाबंदी ग्राम खोड़वा संवत् 2070–2073 प्रदर्श–5, गरीबो हेतु निशुल्क चिकित्सा कार्ड प्रदर्श–6ए, परिवार राशनकार्ड प्रदर्श–7ए, आधारकार्ड प्रदर्श–8ए, फोटो प्रदर्श–9 प्रस्तुत किए हैं ।

उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो वादी पक्ष द्वारा वादग्रस्त जायगा पर अपने स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज यथा पट्टा इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं ना ही वादी द्वारा स्वामित्व की उदघोषणा के बाबत् कोई अनुतोष ही इस न्यायालय

से चाहा है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत भूमि की स्वामित्व की प्रकृति की विवेचना करें तो वादी द्वारा अपने वाद पत्र में उक्त भूमि को आबादी भूमि होना बताया है ।

वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-4 जमाबंदी संवत् 2061 में वादी के नाम से जो इन्द्राज है वह खसरा नम्बर 86 के बाबत् है, जिसमें भूमि की प्रकृति गैर मुमकिन गौचर दर्शित की गयी है । प्रदर्श-5 जमाबंदी संवत् 2070-2073 का अवलोकन करें तो उक्त जमाबंदी में वादी पक्ष का नाम अंकित नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त जमाबंदी किस प्रकार वादी से संबंधित है। यद्यपि उक्त जमाबंदी गांव खोड़वा के खसरा नं. 86/387 के संबंध में तो है, परन्तु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि वादी द्वारा वर्णित विवादित जायगा खसरा नं. 86/387 से संबंधित हो। इससे पत्रावली पर पुनः यह स्थिति उत्पन्न होती है कि प्रश्नगत भूमि का स्वामी वादी नहीं है अपितु प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन गौचर होने से सरकारी जमीन है, जिसका स्वामित्व संबंधी दस्तावेज वादी के पास नहीं है । ऐसी स्थिति में पत्रावली पर यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व प्रतिवादी संख्या 1 में निहित है । ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त भूमि पर जहां तक वादी के स्वामित्व का प्रश्न है, यह बिन्दु वादी में निहित ना होकर प्रतिवादी संख्या 1 में निहित है ।

जहां तक विवादित जायगा पर वादी के वैध तथा सुस्थापित कब्जे का प्रश्न है, तो गवाह पी.ड.-1 भीकाराम यह कथन करता है कि विवादित सम्पत्ति पर उसका पीढियों पुराना कब्जा है, किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष किंचित मात्र भी ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे वादी का उक्त विवादित सम्पत्ति पर कब्जा सुनिश्चित, पुराना तथा वैध माना जा सके । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-3 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो उसमें यह अंकित है कि-

> " प्रमाणित किया जाता है कि भीखाराम S/O
> संग्राम जाति नायक ग्राम खोडवा का रहने
> वाला है । यह ग्राम खोडवा में पिछले काफी
> समय से निवास कर रहा है। इसका ग्राम खोडवा
> में पक्का मकान बना हुआ है । मैं इनको
> व्यक्तिगत रूप से जानती हूं । मेरे द्वारा दी
> गई जानकारी पूर्वतया सही व सत्य है ।
> इनको कोई दूसरा मकान नहीं है । "

उक्त दस्तावेजों में इस बात का कही भी उल्लेख नहीं है कि वादी ग्राम खोड़वा के खसरा नं. 86 जिसके बट्टा नं. 86/387 है, का निवासी है अथवा उक्त खसरा नं. में वादी के वैध स्वामित्व की जायगा स्थित है । दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 एवं प्रदर्श–2 से मात्र यह स्पष्ट होता है कि वादी पक्ष को इन्द्रा आवास योजना के तहत 25,000/– रूपये की राशि स्वीकृत की गयी थी। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी विवादित सम्पत्ति का स्वामी नहीं है तथा वादी द्वारा पीढियों पुराने कब्जे के संबंध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है तथा वादी के पूर्वजों व वादी का कब्जा प्रश्नगत सम्पदा पर कब, कैसे व किस रीति से हुआ, इस बाबत् किंचित मात्र साक्ष्य एवं अभिवचन पत्रावली पर नहीं है । इस संबंध में ऐसा ही मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष

DNJ 2006 Raj. 777

भगवानसिंह बनाम रामजीलाल

के मामले में आया जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह मत अभिनिर्धारित किया कि '' जहां वादी का यह कथन था कि प्लॉट इसके मामा का था फिर वादी को प्राप्त हुआ। वादी का कब्जा किस रीति से हुआ साबित नहीं है। मामा के पास स्वामित्व भी नहीं था। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दावे को खारिज किया जाना सही ठहराया। प्रस्तुत प्रकरण में भी ऐसी ही स्थिति है। वादी द्वारा अपने पी़ढियों पुराना व स्वयं के पास कब्जा किस रीति व ढंग से हुआ, इसको साक्ष्य एवं अभिवचन द्वारा स्पष्ट नहीं किया है।

इसी प्रकार माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा

CCC 2007 Madras 680

एस पार्थ सार्थी बनाम दुरूई

वाले मामले में यह अधिनिर्धारित किया है कि – '' मात्र कब्जा ही नहीं देखा जाएगा बल्कि कब्जे का अधिकार वादी को है अथवा नहीं यह बिन्दु भी देखा जाएगा। ''

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के

DNJ 2007 Raj. 378

हरीसिंह बनाम दुर्गालाल

वाले मामले में यह व्यवस्था दी है कि जहां वादी का स्थायी निषेधाज्ञा का वाद हो एवं वादी यह सिद्ध करने में विफल रहता है कि वह विवादग्रस्त भूमि का स्वामी है एवं उसके पास कोई स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं है एवं प्रतिवादी के पास स्वामित्व हो वहां दावा खारिज किये जाने को सही ठहराया।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–4 संवत् 2061, जिसमें वादी का नाम अंकित है तथा खसरा नम्बर 86 की प्रकृति गैर मुमकिन गौचर दर्शित की गयी है, से यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि सरकारी भूमि है । प्रस्तुत प्रकरण में उक्त विवेचन के अनुसार स्वीकृत रूप से प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व सरकारी भूमि होने से प्रतिवादी सं. 1 में निहित है। वादी पक्ष प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व एवं वैध कब्जे को सिद्ध नहीं कर पाया है एवं ना ही वादी द्वारा स्वामित्व की उद्घोषणा का वाद ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में जहां प्रतिवादी सं. 1 की स्थिति वास्तविक स्वामी की होती है। वहां विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अतिक्रमी वास्तविक स्वामी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि वादी की हैसियत वैध, सुनिश्चित एवं लम्बे कब्जे के अभाव में मात्र अतिक्रमी की ही रहती है एवं अतिक्रमी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

इसी प्रकार चूंकि वादी के पास स्वीकृत रूप से ना स्वामित्व है, ना ही उसके द्वारा स्वामित्व की उद्घोषणा का वाद ही प्रस्तुत किया गया है एवं ना ही अपने कब्जे की रीति ढंग आदि को स्पष्ट किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी के कथनानुसार यदि उसके पास कब्जे को भी मानें तो भी वादी की हैसियत मात्र अतिक्रमी की रह जाती है एवं विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अतिक्रमी वास्तविक स्वामी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जैसा कि–

DNJ 1997 SC 6

हनुमानप्पा बनाम मुन्नीनारायणप्पा

वाले मामले में स्पष्ट है। इसी प्रकार

WLC 1978 UC 295

केसरीमल बनाम नगरनिगम

वाले मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का यह मत रहा है कि– नगरनिगम को अवैध अतिक्रमण हटाने का अधिकार है एवं अतिक्रमी के संरक्षक के लिए निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । इसी प्रकार

RLW 2000(1) Raj. 317

जयदेव बनाम राज्य

वाले मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का यह मत रहा है कि–अतिचारी सरकारी भूमि पर कितने लम्बे समय से ही क्यों ना काबिज हो, उसके किसी प्रकार

का अधिकार प्राप्त नहीं होता है ।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार चूंकि वादी विवादित जायगा पर ना ही अपना स्वामित्व, ना ही अपना वास्तविक कब्जा सिद्ध कर पाया है। वादी द्वारा न्यायालय से प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व की उदघोषणा का अनुतोष भी नहीं चाहा गया है । पत्रावली पर यह स्पष्ट स्थिति है कि विवादित जायगा गैर मुमकिन अंगोर की जायगा होकर राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी जायगा दर्ज है जिस पर वादी बतौर अतिक्रमी मौजूद है और विधि के अनुसार वास्तविक स्वामी के विरूद्ध निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदत् नहीं किया जा सकता ।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का स्वामित्व, वैध, सुनिश्चित एवं लम्बा कब्जा नहीं पाये जाने तथा वादकारण के अभाव की स्थिति को देखते हुए विचारणीय बिन्दु संख्या 1 वादी के विरूद्ध तय किया जाता है।

अनुतोष

चूंकि बिन्दु संख्या–1 वादी के विरूद्ध तय किया गया है व वादी वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अतः वादी पक्ष का वाद अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

9 अतः वाद वादी भीकाराम पुत्र श्री संग्रामराम, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम खोडवा ग्राम पंचायत बेरावास, तहसील खींवसर, जिला नागौर द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध 1 राज्य सरकार जरिए जिला कलक्टर नागौर, 2 तहसीलदार, कार्यालय तहसीलदार खींवसर, जिला नागौर एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

10 खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे ।

11 डिक्री पर्चा उक्तानुसार मुर्तिब हो ।

(नेहा गोयल)
सिविल न्यायाधीश, नागौर ।

12 निर्णय दिनांक 05.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नेहा गोयल)
सिविल न्यायाधीश, नागौर ।